

न्यूनतम वेतन अधिनियम में आवर्त नियोजन में देय भत्ता।

राजाज्ञा संख्या 430 / VIII / 15-40(श्रम) / 2008 दिनांक 15 जुलाई, 2015 एवं 1044(1) / VIII / 15-40(श्रम) / 2008 दिनांक 30 जुलाई, 2015 के अनुसार कृषि के नियोजन में नियोजित अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2001=100 के आधार पर माह जुलाई 2020 से अगस्त 2020 एवं अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016=100 के आधार पर माह सितम्बर, 2020 से दिसम्बर 2020 के 253 अंक के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 341 पर रू0 20 प्रति अंक की दर पर दिनांक : 01-04-2021 से 30-09-2021 तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नवत होगा :-

$$(341-253) \times 20 = 1760.00$$

(दीप्ति सिंह)

श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड़ हल्द्वानी

संख्या : 1893

/4-1/2012

दिनांक : 7-4-21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर प्रतिपालन करायें तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा माँगे जाने पर उन्हे उपलब्ध करा दें।

- 1- उप श्रम आयुक्त, देहरादून, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
- 2- उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी, श्रम भवन, नैनीताल रोड़, हल्द्वानी।
- 3- उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार, एस०जी०ओ० परिसर, निकट वाणिज्य कर कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार।
- 4- उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंहनगर, विकास भवन परिसर, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।

(दीप्ति सिंह)

श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।